

# Rajasthan Olive Cultivation Limited



(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)  
State Institute of Agriculture Management Campus,  
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018  
Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506  
Web: [www.rajolive.com](http://www.rajolive.com) Email, [rocl@rajolive.com](mailto:rocl@rajolive.com)  
CIN:U01122RJ2007PLC024246

प.1 (85 बी) आर.ओ.सी.एल./2015-16/ 1831-1906

जयपुर, दिनांक 25/08/2015

उपनिदेशक कृषि (वि०),

बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू

हनुमानगढ़/टोंक/बारा/जैसलमेर/झुंझुनू/धौलपुर/अलवर।

विषय:- जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के अन्य दिशा-निर्देश बाबत।


प्रसंग:- कृषि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 2796-2838 दिनांक 17.08.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जारी दिशा-निर्देशों के क्रम संख्या - 2 में निम्नानुसार से स्पष्टीकरण है।

“यदि किसी कृषक द्वारा राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के सहयोग से वर्ष 2015-16 में संचालित नर्सरी मैसर्स यूडिटेक कंसल्टिंग प्रा. लि. से सीधे पौधे क्रय कर खेत में लगाये गये हैं तो ऐसे प्रकरणों में पौध रोपण पर अनुदान की राशि नियमानुसार कृषक को आदानो का बिल प्रस्तुत करने पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।”

यह दिशा-निर्देश राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपलब्ध राशि पर भी लागू होंगे।

उक्त आदेश श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी से अनुमोदित है।

  
25.8.15

(योगेश कुमार वर्मा)


चीफ आपरेशन आफिसर

प.1 (85 बी) आर.ओ.सी.एल./2015-16/ 1831-1906

जयपुर, दिनांक 25/08/2015

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबंधक, साईट डवलपमेंट ।
2. कार्यालय सहायक को भेजकर लेख है कि उक्त को [www.rajolive.com](http://www.rajolive.com) पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. तकनिकी/लेखा शाखा/रोकड शाखा।

  
25.8.15

(योगेश कुमार वर्मा)

चीफ आपरेशन आफिसर